भारतीय मानक ब्यूरो

(पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय)

संदर्भः ई.आर.ओ./ चिकित्सा प्रतिपूर्ति

दिनांक 16.03.2023

विषयः पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय एवं पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ शाखा कार्यालयों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार / प्रतिपूर्ति के संबंध में।

परिपत्र / सर्कुलर

भारतीय मानक ब्यूरो की एक्सक्यूटिव काउंसिल / ई.सी. की 147 वीं मीटिंग दिनांकित 23.12.2020 एवं स्थापना विभाग, मुख्यालय द्वारा जारी सर्कुलर संख्या ई. एस. टी. टी.-1/29:2/2021 दिनांकित: 20.02.2023 विषय: दिल्ली / एन.सी.आर. से बाहर तैनात कर्मचारियों एवं पेंशनर लाभार्थियों की चिकित्सा सुविधाओं का मामला के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने ईआरओ लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाओं को मंजूरी दी है (इसके अधिकार क्षेत्र में शाखा कार्यालयों सहित):,

1. किसी भी निजी / प्राइवेट अस्पताल से चिकित्सा उपचार (केवल भर्ती / इन्डोर) / जाँच: जहाँ सी.जी. एच. एस. दर अथवा इसका वास्तविक मूल्य उपलब्ध नहीं हों, प्रतिपूर्ति को सी.जी. एच. एस. दरों या ए.आई.आई.एम.एस./ एम्स दरों तक भुगतान को सीमित किया जाएगा।

एवं

2. निजी / प्राइवेट अस्पताल में बाह्य रोगी / आउट पेशेंट डिपार्टमेंट / ओ.पी.डी. उपचार के मामले में इन ओ.पी.डी. उपचार की प्रतिपूर्ति को सी. एस.एम.ए. नियमों के अनुसार व्यय वहन किया जाएगा।

उपरोक्त को सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ एवं तत्काल से अनुपालनार्थ जारी किया जा रहा है।

यह परिपत्र उपमहानिदेशक (पूर्वी) के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

16/03/23

(एच चोंग्लोई)

सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

प्रमुख, आई.टी.एस. - कृपया बी.आई.एस. वेबसाईट / इन्ट्रानेट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

भारतीय मानक ब्यूरो

(पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय)

Ref: ERO/ Medical Reimbursement **Dated: 16.03.2023**

Subject: Regarding Extension of Medical Facilities in Eastern Regional Office and Branch Offices under Eastern Regional Office

CIRCULAR

With reference to 147th meeting of Executive Council/ EC dated: 23.12.2020 and Circular No. Estt-1/29:2/2021 dated: 20.02.2023 issued by Establishment Department, HQ regarding 'Medical facilities to Employees/ Pensioners/ Family Pensioners'. In this regard, the CA has approved the following medical facilities for the ERO beneficiaries (including BOS under its jurisdiction):

1. "Medical Treatment (indoor only)/ tests" from any private hospital, subject to the condition that the reimbursement would be limited to the CGHS rates or AIIMS rates, where CGHS rates are not available or at actual rates where no such rates are available;

and

2. OPD treatment from any private hospital subject to the condition that the reimbursement of the expenditure incurred on such OPD treatment shall be made as per CSMA Rules.

It is circulated to all concerned for kind information and implementation with immediate effect.

This issues with the approval of DDGE.

16/03/23

(H Chongloi)
AD (A&F)

Head, ITSD-To host on BIS Website/ Intranet, please.